न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3555–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–9–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ़ जिला गुना प्रकरण कमांक 58/ अपील/11–12 .

1– गीताबाई पत्नी रमेश बाबू किरार
2– कौशल्याबाई पत्नी फूलसिंह किरार
3– कमलाबाई पत्नी बृजमोहन किरार
4– अजबबाई पत्नी रामसिंह किरार
निवासीगण ग्राम उदयपुरी
तहसील राघौगढ़ जिला गुना
5– राजबहादुर सिंह पुत्र चेनसिंह
6– लालू पुत्र चेनसिंह राजपूत
7– भंवरबाई पुत्री चेनसिंह पत्नी कमरलाल राजपूत
8– गुड्डीबाई पत्नी भरतसिंह पुत्री चेनसिंह राजपूत
9– भल्लवकुंवरबाई पत्नी चेनसिंह राजपूत
क. 5 लगायत 8 निवासीगण ग्राम फत्तूखेड़ी
तहसील राघौगढ़ जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

शम्भूसिंह पुत्र तखतसिंह राजपूत
निवासी ग्राम फत्तूखेड़ी
तहसील राघौगढ़ जिला गुना ..... अनावेदक

.....

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/10/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ़ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–9–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 5 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी चेनसिंह द्वारा तहसीलदार, राघौगढ़ जिला गुना के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम फत्तूखेड़ी स्थित वादग्रस्त भूमि का सहमति के आधार पर बटवारा किये जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/अ–27/10–11 पंजीबद्ध कर दिनांक 30–5–11 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ़ जिला गुना के समक्ष दिनांक 26–6–12 को प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । साथ ही व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 एवं संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–9–14 को अंतरिम आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किया जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 27–9–14 की पेशी नियत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बुआ ने बिना प्रतिफल प्राप्त किये भूमि विक्रय की अथवा अनावेदक को दी, बटवारे का आधार नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 5 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी चैनसिंह, जो कि अनावेदक के खास चाचा हैं, जिनकी मृत्यु दिनांक 15–9–2013 को हो चुकी थी और मृतक के वारिसों को नियत समयावधि में अभिलेख पर नहीं लाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील उपशमित हो चुकी थी, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । तर्क में यह भी

कहा गया कि अनावेदक द्वारा उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लेने हेतु समयबाधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त आवेदन पत्र का उत्तर भी आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त उत्तर का उल्लेख अपने आदेश में कहीं भी नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया था तथा अनावेदक को व्यक्तिशः सूचना पत्र भी दिया गया था, जिसका उल्लेख तहसील न्यायालय के आदेश में है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर विलम्ब माफ करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि भूमि का बटवारा एवं विक्रय के पश्चात आवेदकगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं, किन्तु अनावेदक का का उद्देश्य केवल अनुचित लाभ प्राप्त करना है, जबकि उसे भी स्वत्व के अनुसार भूमि बटवारे में दी गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील समय बाह्य होने तथा उपशमित होने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक भूमि के बटवारे के समय जेल में था, इसलिए उसे तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी । इस आधार पर कहा गया कि जानकारी के दिनांक से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब माफ करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि जिस समय तहसीलदार द्वारा बटवारे का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाकर बटवारा आदेश पारित किया गया है, उस समय अनावेदक जेल में था, इसलिये उसे आदेश की जानकारी नहीं होना व्यवहारिक रूप से

मान्य तथ्य है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । चूंकि जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि अनावेदक जेल में था, अतः उसके द्वारा मृतक चेनसिंह के वारिसान को अभिलेख पर लाये जाने की कार्यवाही में भी विलम्ब हुआ है, जो कि सद्भाविक है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 एवं संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है, और वह गुणदोष पर अपना पक्ष समर्थन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष करें, जिससे प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जा सके ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ़ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–9–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर